

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ: दिनांक १३ अगस्त, २००८

विषय: वर्ष 2007 में बाढ़ अवधि के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों हेतु परिवहन मद हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-३८१९/तेरह-आपदा-धनावटन/२००८, दिनांक ०८ जुलाई, २००८ के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक २९ जुलाई, २००८ में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007 में बाढ़ अवधि के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों हेतु परिवहन मद पर व्यय हुई धनराशि रु० 4,86,770/- (रूपये चार लाख छियासी हजार सात सौ सत्तर मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर- ०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३- राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या- जी०आई०-१३४ / १-११-२००७ -४६/९७ दिनांक ३१ जुलाई, २००७ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का आहरण एवं वितरण केवल दैवी आपदाओं जैसे-अग्निकांड, औषधी, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा आदि के फलस्वरूप घटित घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं -सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।


4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय

और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1-11-2005-रा०-11 दि० ५
20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के
साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर
भी फ़ीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते
सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुये
वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाय।

5. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का पूर्ण विवरण तथा धनराशि का उपभोग प्रमाण
पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप
संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

6. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा
जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया
जाय।


7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय
और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर
शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी०क० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : ३१८ / १-१०-२००८-१२(७३) / २००८ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ऐषित-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, बहराइच।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6
/ 11 / राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. वित्तीय वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(लक्ष्मी चौरायण)
अनु सचिव।

४.५८८८ २७५६१३०९४३।
४.५९८८ २७५६१९६६०।